

प्रेषक:

अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त),
हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला - 02.

प्रेषित:

समस्त विभागाध्यक्ष,
हिमाचल प्रदेश।

दिनांक: शिमला - 17/10/21 18/11/2021

विषय:- अनुग्रह अनुदान राशि (Ex-gratia Grant) वितरण हेतु।
महोदय,

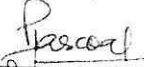
उपरोक्त विषय पर मुझे इस विभाग के पत्र संख्या फिन-ए-सी (5)1/2021-V-लूज दिनांक 17.08.2021 के क्रम को जारी रखते हुए यह कहने का निर्देश हुआ है कि विभागों से अनुग्रह अनुदान राशि की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव अभी तक उक्त निर्देशों के आधार पर प्राप्त नहीं हो रहे हैं। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि विभागाध्यक्षों द्वारा इस संदर्भ में आहरण एवं वितरण अधिकारियों (DDOs) को आवश्यक निर्देश जारी नहीं किये गये हैं। इसके अतिरिक्त वित्त विभाग के ध्यान में यह भी आ रहा है कि विभागों से मृतक कर्मचारियों के आश्रितों के पक्ष में अनुग्रह अनुदान आबंटन हेतु जो प्रस्ताव प्राप्त हो रहे हैं, उनमें विभागों द्वारा मृतक कर्मचारियों के बारे में पूर्ण विवरण नहीं दिया जा रहा है, जिस कारण भी इन प्रस्तावों के निपटान में विलम्ब हो रहा है। अतः आपसे अनुरोध है कि अनुग्रह अनुदान आबंटन हेतु प्रस्ताव भेजते समय मृतक कर्मचारी का निम्न विवरण प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध करवाएं :-

1. Name of the deceased Government employee.
2. Designation.
3. Date of appointment.
4. Date of death of employee.
5. Regular or Contract employee.
6. Minimum of the Pay Band + Grade Pay in case of contract employee.
7. Basic Pay (Pay in the Pay Band + Grade Pay) of the official/officer immediately before death in case of regular employees.
8. Amount admissible on account of Ex-gratia Grant.
9. Salary Code of deceased employee (IP No.).
10. Treasury Code.
11. DDO Code.
12. DDO Phone Number.

13. DDO e-mail ID.

14. Certificate to the effect that no Ex-gratia Grant has been drawn/paid earlier.

अतः समस्त विभागों से आग्रह है कि इस बारे में समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारियों को दिशा-निर्देश जारी करना सुनिश्चित करें। अधूरी सूचना के कारण अनुग्रह अनुदान आबंटन के प्रस्तावों पर विचार करना सम्भव नहीं होगा। अनावश्यक विलम्ब हेतु सम्बन्धित विभाग जिम्मेदार होगा।

भवदीय,

 (प्रदीप कुमार)
 उप सचिव (वित्त),
 हिमाचल प्रदेश सरकार।

पृष्ठांकन संख्या: फिन-ए-सी (5)1/2021-VIII

दिनांक: शिमला - 171002. 18/11/2021

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रधान महालेखाकार (अंकेक्षण), हिमाचल प्रदेश, शिमला - 171003.
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), हिमाचल प्रदेश, शिमला - 171003.
3. निदेशक, कोष, लेखा एवं लॉटरी विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला - 171009.
4. समस्त मण्डल आयुक्त, हिमाचल प्रदेश।
5. रजिस्ट्रार जनरल, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय, शिमला - 171002.
6. समस्त उपायुक्त, हिमाचल प्रदेश।
7. नियन्त्रक (वित्त एवं लेखा), कार्मिक विभाग, हिमाचल प्रदेश सचिवालय, शिमला - 171002.
8. निरीक्षक, स्थानीय निधि लेखा, हिमाचल प्रदेश।
9. रक्षक नस्ति।

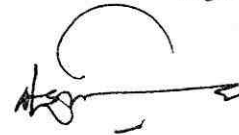
शिक्षा निदेशालय उच्चतर
 हिमाचल प्रदेश, शिमला-।


 (प्रदीप कुमार)
 उप सचिव (वित्त),
 हिमाचल प्रदेश सरकार।

पृष्ठांकन संख्या:ई0डी0एन0-एच(1)बी(15)07/2021(निर्देश) दिनांक: शिमला
 प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त शाखा अधिकारी/अधीक्षक, शिक्षा निदेशालय उच्चतर हिमाचल प्रदेश, शिमला-।
2. निजी सचिव शिक्षा निदेशालय, हिमाचल प्रदेश, शिमला -।
3. कमांडिंग अधिकारी, एन0सी0सी0 मुख्यालय, हिमाचल प्रदेश, शिमला-।
4. मुख्य पुस्तकालयाध्यक्ष, सी0एस0एल0, सोलन जिला सोलन हिमाचल प्रदेश.
5. समस्त उप-शिक्षा निदेशक उच्चतर शिक्षा, हिमाचल प्रदेश.
6. समस्त प्रधानाचार्य राजकीय महाविद्यालय हिमाचल प्रदेश.
7. समस्त प्रधानाचार्य/मुख्याध्यापक राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक/उच्च पाठशालाएं हिमाचल प्रदेश.
8. शाखा अधिकारी/तकनीकी अधिकारी, आई0टी0/कम्प्यूटर शाखा, शिक्षा निदेशालय उच्चतर को इस आशय के साथ प्रेषित है कि उक्त पत्र को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने की कृपा करें।
9. रक्षक नस्ति।

शिक्षा निदेशालय उच्चतर हिमाचल प्रदेश
 30 MAR 2022


 (अमरजीत कुमार शर्मा)
 शिक्षा निदेशक उच्चतर
 हिमाचल प्रदेश, शिमला

फिन-ए-सी (5)1/2021-V-लूज

हिमाचल प्रदेश सरकार

वित्त (बजट) विभाग

प्रेषक:

अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त),

हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला - 02.

प्रेषित:

समस्त विभागाध्यक्ष,

हिमाचल प्रदेश।

दिनांक: शिमला - 171002

17/08/2021

विषय:-

अनुग्रह अनुदान राशि वितरण हेतु।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि वित्त विभाग द्वारा अनुग्रह अनुदान राशि का वितरण जो कि अब तक ऑफलाइन माध्यम से किया जाता था को अब ई-वितरण के माध्यम से आहरण एवं वितरण अधिकारियों (DDOs) के पक्ष में वितरित किया जाना है। अतः आपसे अनुरोध है कि वित्त विभाग को अनुग्रह अनुदान राशि की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव भेजते समय उस पर ई-मेल, फोन नंबर, ट्रेजरी कोड, तथा डी०डी०ओ० कोड अंकित करना सुनिश्चित करें ताकि अनुग्रह अनुदान राशि के आबंटन बारे विभाग को सूचित किया जा सके। आपसे यह भी अनुरोध है कि इस संदर्भ में सभी आहरण एवं वितरण अधिकारियों (DDOs) को निर्देश जारी करें।

भवदीय,

(प्रदीप कुमार)

उप सचिव (वित्त),

हिमाचल प्रदेश सरकार।

पृष्ठांकन संख्या: फिन-ए-सी (5)1/2021-V-लूज

दिनांक: शिमला - 171002. 17/08/2021

अतिरिक्त सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रधान महालेखाकार (अंवेक्षण), हिमाचल प्रदेश शिमला - 171003.
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), हिमाचल प्रदेश शिमला - 171003.
3. निदेशक, कोष, लेखा एवं लॉटरी विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला - 171009.
4. समस्त मण्डल आयुक्त, हिमाचल प्रदेश।
5. रजिस्ट्रार जनरल, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय, शिमला - 171002.
6. समस्त उपायुक्त, हिमाचल प्रदेश।
7. नियन्त्रक (वित्त एवं लेखा), कार्मिक विभाग, हिमाचल प्रदेश सचिवालय शिमला - 171002.
8. निरीक्षक, स्थानीय निधि लेखा हिमाचल प्रदेश।
9. रक्षक नस्ति।

भवदीय,

(प्रदीप कुमार)

उप सचिव (वित्त),

हिमाचल प्रदेश सरकार।